प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

सेवा में,

सचिव. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद. शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक एन०ओ०सी०/ —

/2020-21

दिनांक : 17/12/202) विषय : बी०आर०एस० स्कल, खानपुर, रानीपुर मऊ को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय.

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतू अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधिन आपत्ति नहीं है-

- 1. विद्यालय की पंजीकृत ट्रस्ट का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उसने उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री ऐजुकेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
- 6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
- 7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

Manager

B. R. S. SCHOOL

Khanpur-Mau

Agrind Khanpur-Mau

- 8. विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संसोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(योगेन्द्र कुमार सिंह) संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ मण्डल, आजमगढ

पृ०सं० / एन०ओ०सी० / 3730-40/2020-21

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
- 2. शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3. जिलाधिकारी मऊ।
- 4. जिलाविद्यालय निरिक्षक मऊ।
- 5. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
- 6. प्रबन्धक बी०आर०एस० स्कल, खानपुर, रानीपुर मऊ।
- 7. गार्ड फाइल हेतु।

(योगेन्द्रं कुमार सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

8 11/201

Manager

B. R. S. SCHOOL Khanpur-Mau Agrind

Principal
B. R. S. School
Khanpur-Mau